संख्या 3204 / II–2010–04(05) / 2010, टी0सी0

प्रेषक,

एन0के0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2011

सिंचाई अनुभाग

विषय : **सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद के अन्तर्गत योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–2831 / मुअवि / नि.अनु. / डी–7(मु0मं0), दिनांक 08.11.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2010–11 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत अनुदान संख्या–20 में राज्य सैक्टर में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद अन्तर्गत जलाशय बनाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 106 / 2010 के अन्तर्गत 02 सं0 योजनाओं (लागत ₹ 43.96 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 08.79 लाख (₹ आठ लाख उन्नासी हजार मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण **संलग्नक–1** में अंकित है, को चालू वित्तीय वर्ष 2110–11 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है व योजना निर्माणाधीन है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. स्वीकृति धनराशि का खण्डवार विभाजन / फॉट मुख्य अभियन्ता एवं उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान / परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

क्रमशः.....2

8. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2011 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
12. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
13. भविष्य में निर्माण कार्यों के प्रस्ताव करते समय बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(डी)–4 में दिये गये प्राविधान की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701– मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–005–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (किशाऊ बांध को सम्मिलित करते हुए) 03–निर्माण कार्य–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
15. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–612/XXVII(2)/2010, दिनांक 26 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

संख्या 3204(1)/II–2010–04(05)/2010,टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (घोषणा अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
5– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10– नियोजन विभाग।
11– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

D:\YEAR 2010-11\Reservior Scheme\G.O General Reservior.doc page- 10 -

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या–3204 / II–2010–04(05) / 2010,टी0सी0 दिनांक 29/03/11 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क0 सं0	कार्य का नाम	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा संस्तुत लागत (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित आवंटन (लाख ₹ में)
1	2	3	4
1	जनपद पौड़ी के कोटद्वार नगर के पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई सुविधा हेतु खोह एवं सुखरौ नदी में जलाशय बनाने के अनुसंधान कार्यों का प्रारम्भिक प्राक्कलन।	21.96	4.39
2	जनपद पौड़ी के कोटद्वार भाबर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई सुविधा हेतु नालगड़ी (सिगड्डी) स्रोत पर जलाशय बनाने के अनुसंधान कार्यों का प्रारम्भिक प्राक्कलन।	22.00	4.40
	कुल योग		**8.79**

(₹ आठ लाख उन्नासी हजार मात्र)

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

D:\YEAR 2010-11\Reservior Sechems\G O General Reservior.doc page- 11 -